

JAY BHARAT MARUTI LIMITED

Corporate Office : Plot No. 9, Institutional Area,
Sector 44, Gurgaon-122 003 (Hr.)
T : +91 124 4674500, 4674550
F : +91 124 4674599
W : www.jbmgroup.com

JBML/SE/Q2/2026-27

August 03, 2026

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot C-1, Block G
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051

BSE Limited
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Scrip Code: JAYBARMARU

Scrip Code: 520066

Sub: Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref: Pre AGM Newspapers Publication

Dear Sir/ Ma'am,

Please find enclosed herewith copies of pre AGM newspapers advertisement published in Business Standard (Hindi & English) in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and rules made thereunder read with all applicable circulars issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) and Ministry of Corporate Affairs (MCA), from time to time, intimating regarding the 39th Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on **Wednesday, August 26, 2026**, through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) and to provide other requisite information to the shareholders.

The aforesaid Newspapers advertisement is also available on the website of the Company www.jbmgroup.com.

For Jay Bharat Maruti Limited

Shubha Singh
Company Secretary
ICSI M. No. A16735



Encl.: As stated above

जय भारत मारुति लिमिटेड

(CIN:L29130HR1987PLC130020)

पंजी. कार्यालय: एस सिटी II, मोहम्मदपुर इरासा, खांडसा गांव के पास, सेक्टर-36, खांडसा रोड, गुरुग्राम हरियाणा-122001.

फोन:- +91 124 4767800, फैक्स: +91 124 4032011

ई-मेल: jbmli.investor@jbmgrou.com

वेबसाइट: https://www.jbmgroup.com

JBM GROUP
Our milestones are touchstones

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों के माध्यम से आयोजित की जाने वाली 39वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम')/बुक क्लोजर और रिकॉर्ड तिथि की सूचना

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा समय-समय पर जारी सभी लागू परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों के सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी के शेयरधारकों की 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से **बुधवार, 26 अगस्त, 2026 को अपराह्न 12:30 बजे (आईएसटी)**, वार्षिक आम बैठक की सूचना में यथा निर्दिष्ट व्यवसायों के संयवहार हेतु, आयोजित की जाएगी। कंपनी ने एजीएम के लिए वीसी /ओएवीएम सुविधा प्रदान करने हेतु मेसर्स केफोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफीन) को नियुक्त किया है।
- लागू परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक की सूचना और 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट, उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड तथा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.jbmgroup.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com तथा केफीन की वेबसाइट www.kfintech.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- जो शेयरधारक, मौखिक रूप में शेयर धारित किए हुए हैं और जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट करने और कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु केफीन से evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।

जो शेयरधारक वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट कर चुके हैं, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं, किंतु उन्हें दोबारा वोट करने का अधिकार नहीं होगा।

4. ईमेल पते पंजीकृत करने /अद्यतन करने का तरीका:

क) जो शेयरधारक, मौखिक रूप में शेयर धारित किए हुए हैं और उन्होंने अभी तक कंपनी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत /अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास 179-180, डीएसआईडीसी रोड, तीसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-4, नई दिल्ली -110 020 पर प्रपत्र आई एसआर-1 के साथ अनुरोध पत्र, जिसमें उनका फोनियो नंबर उल्लिखित हो, शेयर प्रमाण पत्रों की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे दोनों तरफ से), पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और पते के किसी भी प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति जमा करके अपना ईमेल पता पंजीकृत /अद्यतन करा लें।

ख) ऐसे शेयरधारक, जो डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर धारित किए हुए हैं और अभी तक अपना ईमेल पता पंजीकृत /अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत /अद्यतन करा लें, जिनके साथ वे अपने डिमैट खाते रखते हैं।

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिरिंग)] बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं विनियम के विनियम 36(1)(ख) के अनुपालन में,उन सभी शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के स्टॉक पोथ के साथ वेब-लिंग के आधार पर एक पत्र भेजा गया है, जिनका ईमेल पता कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है।

कृपया ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने और वसूल प्रदत्तकों में भागलेने के लिए ईमेल पता और मोबाइल नंबर का पंजीकरण अब अनिवार्य है।

6. बुक क्लोजर /लामांश के लिए रिकॉर्ड तिथि और उसका भुगतान

क) कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर **गुरुवार, 20 अगस्त, 2026 से बुधवार, 26 अगस्त, 2026 (दोनों दिन सहित)** तक वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के उद्देश्य से और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए घोषित किए जाने पर अंतिम लामांश के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से बंद रहेगा।

ख) एजीएम में अनुमोदन के अधीन, लामांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयर धारकों को डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध कराए गए लामकारी स्वाभिल के विवरण के आधार पर, **बुधवार, 19 अगस्त 2026** के कारोबार की समाप्ति के समय की स्थिति के अनुसार किया जाएगा। मौखिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के संबंध में लामांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम कंपनी के सदस्य रजिस्टर में, **बुधवार, 19 अगस्त 2026** को अथवा उससे पूर्व, प्राप्त शेयरों के वैध हस्तांतरण / नामांतरण (ट्रांसमिशन) / नाम क्रम परिवर्तन (ट्रांसपोजिशन) के अनुरोधों को प्रमाणी करने के उपरांत, अभिलेखों में दर्ज होंगे।

ग) लामांश का भुगतान लागू दरों पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की कटौती के अग्रणीन होगा। अधिक जानकारी के लिए, वार्षिक आम बैठक की सूचना की टिप्पणी देखें।

- डिमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे लामांश प्राप्त करने के लिए द्र किए गए धेक के साथ अनुरोध करके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के माध्यम से और कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास बैंक खाता में डेट को अद्यतन करा लें।

जो शेयरधारक मौखिक रूप में शेयर धारित किए हुए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता, 179-180, डीएसआईडीसी रोड, तीसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-4, नई दिल्ली -110020 के पास विधिवत भरे हुए प्रपत्र आईएसआर-1 और आईएसआर-2 को जमा करके अपने बैंक विवरण को अद्यतन करा लें।

- ई-वोटिंग पोर्टल **रविवार, 23 अगस्त, 2026 (प्रातः 9:00 बजे आईएसटी) से मंगलवार, 25 अगस्त, 2026 (सायं 5:00 बजे आईएसटी)** तक वोट करने के लिए खुला रहेगा। इस अवधि के दौरान, कंपनी क ऐसे शेयर धारक, जिनके पास **बुधवार, 19 अगस्त, 2026** की नियत तिथि तक मौखिक या डिमैट रूप में शेयर हैं, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट करने और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में वोट करने के हकदार होंगे और घोषित किए जाने पर अंतिम लामांश प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।

- 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना लागू कानूनों के अनुसार शेयरधारकों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर उचित समय पर भेजी जाएगी।

- शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में दी गई सभी टिप्पणियों और विशेष रूप से, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में वोटिंग के माध्यम से वोट करने के निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें।

कृते जय भारत मारुति लिमिटेड

हस्ता / -

तिथि : अगस्त 03, 2026

स्थान : गुरुग्राम

शुभा सिंह

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

Coforge|कोफोर्ज लिमिटेड

CIN: L72100HR1992PLC128382

पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर 13, उद्योग विहार, फेज-IV, सेक्टर-18, पालम रोड, गुरुग्राम-122015, हरियाणा, भारत

फोन : 0124 - 4627837, ई-मेल: investors@coforge.com, वेबसाइट: <https://www.coforge.com>

34वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की **34वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम)** **सोमवार, 24 अगस्त, 2026 को सायं 05:00 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा (‘वीसी’) /अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें ई-वोटिंग के माध्यम से उक्त एजीएम को बुलाने वाली सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय का निष्पादन, किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना किया जाएगा। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 (**“अधिनियम”**) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 (“सेबी लिरिंग नियमावली”) के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्रों दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020 और नवीनतम परिपत्र सामान्य परिपत्र संख्या 03 /2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 (सामूहिक रूप से **“एमसीए परिपत्र”** के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों (**“सेबी परिपत्र”**) एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों, और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवालयीय पत्र (**“एसएस-2”**) तथा किसी भी अन्य लागू कानून, नियम और नियमों (समय-समय पर संशोधित एवं लागू, किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनर्मूल्यांकन सहित) के अनुसार आयोजित की जा रही है। एजीएम के लिए माना गया स्थान (डिमैड वेन्यू) कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। वीसी /ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और ई-वोटिंग के निर्देश एजीएम बुलाने वाली सूचना में उल्लिखित हैं।

कंपनी ने 02 अगस्त, 2026 को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 34वीं एजीएम की सूचना उन सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी है, जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरी या कंपनी के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए, एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से वष 2026 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम सूचना केवल ईमेल के माध्यम से भेजी गई है।

जिन सदस्यों को सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, वे इसे कंपनी की वेबसाइट www.coforge.com से ‘इन्वेस्टर’ सेक्शन के अंतर्गत डाउनलोड कर सकते हैं (सूचना के लिए वेबलिंग : <https://investors.coforge.com/hubs/AGM-Notice-2026.pdf>) (वार्षिक रिपोर्ट के लिए वेबलिंग : <https://investors.coforge.com/hubs/Annual-Report-2026.pdf>) या ऊपर उल्लिखित ईमेल आईडी अथवा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर कंपनी सचिव को लिखकर इसकी सापेक्ष कॉपी के लिए अनुरोध कर सकते हैं। एजीएम की उक्त सूचना और वार्षिक रिपोर्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <https://www.nseindia.com> और एएसई लिमिटेड की वेबसाइट <https://www.bseindia.com> पर भी उपलब्ध है, जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं, तथा एनएसडीएल (ई-वोटिंग सेवा प्रदाता) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

जिन शेयरधारकों के ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे (i) संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डिमैट शेयरों के मामले में) या (ii) कंपनी को investors@coforge.com पर या एमयूएफजी इनटाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (“आरटीए”) को investor.helpdesk@in.mgms.mufg.com पर (मौखिक शेयरों के मामले में) स्व-सत्यापित पैन कार्ड और पते के प्रमाण की प्रति तथा उक्त फॉर्म में प्रदान किए गए अन्य दस्तावेजों के साथ फॉर्म आईएसआर-1 (कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध) में एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र भेजकर अपना ईमेल आईडी पंजीकृत कराएं। ईमेल के सफल पंजीकरण के बाद, शेयरधारक अपनी क्रेडेंशियल्स प्रदान करके ऑनलाइन पासवर्ड जनरेट करने के लिए एनएसडीएल वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। किसी भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारक evoting@nsdl.com या investors@coforge.com पर लिख सकते हैं।

वीसी /ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के निर्देश और रिमोट ई-वोटिंग में भाग लेने या ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में वोट डालने का तरीका एजीएम बुलाने वाली सूचना में प्रदान किया गया है। सूचना में मौखिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले उन शेयरधारकों के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स के संबंध में निर्देश भी शामिल हैं, जिन्होंने अपना ईमेल पता या तो कंपनी या अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (“डीपी”) के पास पंजीकृत नहीं कराया है। वीसी /ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए सिना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित, और सेबी लिरिंग नियमावली के विनियमन 44, एसएस-2 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से एजीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से 34वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 21 अगस्त, 2026 को प्रातः 09:00 बजे (भारतीय मानक समय) शुरू होती है और रविवार, 23 अगस्त, 2026 को सायं 05:00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होती है। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उक्त तिथि व समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार, 17 अगस्त, 2026 तक मौखिक या डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं या एजीएम में वोट दे सकते हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की मुकता शेयर एजी में उक्त शेयरों के अनुपात में होंगे। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर या लामार्थी स्वाभिलों के रजिस्टर में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, वह इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्यों के लिए समझे। ई-वोटिंग /एजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।

- की व्यक्ति, जो सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा **कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार, 17 अगस्त, 2026** को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in या investors@coforge.com पर एकअनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में शामिल होने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले ही अपना वोट डाल दिया है, वे एजीएम में शामिल होने के हकदार होंगे लेकिन दोबारा वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए मेसर्स नित्यानंद सिंह एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज के श्री नित्यानंद सिंह, कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 2668, सीओपी 2388) को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। एजीएम के परिणामों की घोषणा एजीएम के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर कंपनी के अध्यक्ष या विधिवत अधिकृत कंपनी सचिव द्वारा की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित की जाएगी तथा कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.coforge.com पर और एनएसडीएल (ई-वोटिंग सेवा प्रदाता) की वेबसाइट अर्थात् www.nsdl.com पर भी पेटर्नित की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या वीसी /ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायतों के मामले में, सदस्य <https://www.evoting.nsdl.com> के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों के लिए प्रायः पुछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्व्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या श्री अमित विशाल, उपा्यपाध्यक्ष, एनएसडीएल या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सहायक उपाध्यक्ष को evoting@nsdl.com पर एक अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022-4986 7000 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं। सदस्यगण investors@coforge.com पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर कंपनी सचिव को भी लिख सकते हैं।

सदस्यगण कृपया यह भी ध्यान दें कि सेबी ने सेबी लिरिंग नियमावली के विनियमन 40 में संशोधन किया है और यह अनिवार्य किया है कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण (ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन सहित) के सभी अनुरोधों को केवल डिमटेरियलाइज्ड रूप में संसाधित किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए और मौखिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने तथा डिमटेरियलाइजेशन के विभिन्न लामों का लाभ उठाने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने द्वारा मौखिक रूप में रखे गए शेयरों को डिमटेरियलाइज करें। सदस्यगण इस संबंध में कंपनी /आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अपने द्वारा धारित शेयरों के लिए अपने नामांकित व्यक्तियों (लॉमिनी) को नियुक्त करने के इच्छुक सदस्य नामांकन फॉर्म (फॉर्म एसएफ-13) में आवेदन कर सकते हैं। जो सदस्य पूर्व नामांकन को निरस्त करने या उससे बाहर निकलने और नया नामांकन दर्ज करने का इच्छुक है, वह स्थिति के अनुसार उसे फॉर्म आईएसआर-3 या एसएफ-14 में जमा कर सकता है। उक्त फॉर्म कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि यदि शेयर डिमटेरियलाइज्ड रूप में रखे गए हैं तो वे अपने डीपी के पास और यदि शेयर मौखिक रूप में रखे गए हैं तो आरटीए के पास उक्त विवरण जमा करें।

इसके अतिरिक्त, सदस्यों से अनुरोध है कि वे उस स्थिति में अपने नाम, डाक पते, ईमेल पते, टेलीफोन / मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिवेशनों, नामांकन, मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी), बैंक विवरण- जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीएस कोड, आईएफएससी कोड, आदि से संबंधित परिवर्तनों, यदि कोई हो, के बारे में अपने डीपी को सूचित करें यदि शेयर उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं और यदि शेयर उनके द्वारा मौखिक रूप में रखे गए हैं तो निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 और सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/PICIR/2021/655 दिनांक 03 नवंबर 2021, SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/PICIR/2021/687 दिनांक 14 दिसंबर 2021 एवं सेबी मास्टर परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/PICIR/2025/91 दिनांक 23 जून 2025 तथा समय-समय पर जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार अन्य फॉर्मों में आरटीए एमयूएफजी इनटाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सूचित करें।



तिथि : 02 अगस्त, 2026

स्थान : ग्रेटर नोएडा

कृते एवं हिते

कोफोर्ज लिमिटेड

हस्ता / -

बरखा शर्मा

कम्पनी सचिव

ACS: 24060

When industry giants speak, everyone listens.

In-depth **Q&As** with market mavens — *every Monday* in Business Standard.To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**Business Standard
Insight OutBusiness Standard
Insight Out